संख्या-31/2015/1163/26-3-2014-100(115)/99

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ के लिए आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-13/1-26/2014-15/बजट/शो0प्र0सं0, दिनांक-13.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस/2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित योजना मदों हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम में अंकित कुल धनराशि रूपया-2,46,89000/-(रूपये दो करोड़ छियालिस लाख नवासी हजार मात्र) अवमुक्त/स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा अनुदान संख्या 81-आयोजनेत्तर-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें-		
01-वेतन	9270	9270
02- मजदूरी	250	250
03- मँहगाई भत्ता	11124	11124
04- यात्रा व्यय	300	300

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	35	35
06- अन्य भत्ते	1112	1112
07- मानदेय	100	100
08- कार्यालय व्यय	150	150
09- विदयुत देय	100	100
10-जलकर/जलप्रभार	5	5
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	60	60
12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	150	150
13- टेलीफोन पर व्यय	35	35
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	700	700
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50	50
18-प्रकाशन	50	50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10	10
22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20	20
41- भोजन व्यय	141	141
42- अन्य व्यय	30	30
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	37	37
45- अवकाश यात्रा व्यय	100	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300	300
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	200
49- चिकित्सा व्यय	350	350
51- वर्दी व्यय	10	10
कुल योग-	**24689**	**24689**

(रूपये दो करोड़ छियालिस लाख नवासी हजार मात्र)

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपर्युक्त स्वीकृतियों से संबंधित धनराशियां व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस/2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में निहित निर्देशों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0संख्या-31/2015/1163 (1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ

3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3

5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।